विहार विधान सभा वादवृत्त।

शुक्रवार, तिथि ३० मार्च, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ३० मार्च, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

AIR-CONDITIONING OF BIHAR LEGISLATURE.

A46. Shri HARINATH MISRA : Will the Hon'ble Minister in charge of Public Works Department be pleased to state—

(*a*) whether his attention has been drawn towards a news-item published in a section of the Press in its issue of the 4th March, 1951, saying that Government are considering a proposal to air-condition the Bihar Legislative Assembly and Council Chambers;

(*b*) if the reply to (*a*) be in the affirmative, the cost involved in the proposal and the steps that have so far been taken in this connection;

(*c*) the reason and justification of the Government decision to air-condition the Chambers?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—

Reply of this question is not ready. Next time the reply will be ready and the answer will be given.

श्री महेश प्रसाद सिंह—यह प्रश्न कई तिथियों से स्थगित होता चला आ रहा है, आज भी कहा जाता है कि इसका उत्तर तयार नहीं है—म जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—अभी तक सभी कागजात जमा नहीं हैं और आनेरबुल मिनिस्टर, पी० डब्ल्यू० डी० भी नहीं हैं इसलिए इसका उत्तर तैयार नहीं है।

Next time the reply will be ready and the answer will be given.

A—Postponed from the 19th March 1951.

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—तब तक रांची का मकान भाड़ा पर रहता है।

श्री बृजलाल दोकानिया—तो भाड़ा से कितना रुपया वसूल होता है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—हर मकान का भाड़ा अलग-अलग है। अगर आप नोटिस दें तो हम बता देंगे कि कितना भाड़ा वसूल होता है?

श्री बृजलाल दोकानिया—जब मिनिस्टर साहब रांची में रहते हैं तो पटना का क्वार्टर बन्द रहता है या भाड़ा पर रहता है या उनके अख्तियार में रहता है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—पटना का मकान कैसे भाड़ा पर दिया जा सकता है; क्योंकि वे जब-जब पटना आते हैं तो उसी मकान में रहते हैं।

श्री बृजलाल दोकानिया— मकान बन्द रखने पर जो नुकसान होता है वह किस पर आता है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—अगर हर दस रोज के बाद उनको दो रोज रहना पड़े तो १० दिन के लिये मकान कौन भाड़ा पर लेगा? यह तो कौमनसेन्स की बात है।

श्री बृजलाल दोकानिया—तो क्यों दो-दो क्वार्टर आपके दखल में रहेगा?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—मैं इसका कारण बता चुका हूं और अब दुहराना नहीं चाहता हूं।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—अगर ऑनरेबुल मिनिस्टर के क्वार्टर खाली रहते हैं तो उसमें एम० एल० एज० रह सकते हैं? (हास)।

(नो रिप्लाई)

श्री रामगुलाम चौधरी—क्या दोनों जगह के क्वार्टर्स से १० प्रतिशत भाड़ा.....

माननीय अध्यक्ष—उत्तर मिल चुका है।

श्री बनारसी लाल पंजाबी और उनकी दूकान।

*७९९। श्री बृजलाल दोकानिया—क्या माननीय मंत्री, पुनर्वास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि स्थानीय शरणार्थी बनारसी लाल पंजाबी को जब तक दूसरी जगह दूकान के लिये नहीं मिल जाती तब तक के लिये उनको इस वक्त जिस स्थान पर उनकी दूकान है वहीं रखने की अनुमति पी० डब्ल्यू० डी० की एक्जेक्यूटिव इंजीनियर ने दी है;

(ख) क्या यह बात सही है कि एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने गत १५ फरवरी को उनकी दूकान पर आकर हुकुम दिया कि यदि आगामी १ली मार्च के अन्दर अपनी दूकान दूसरी जगह उपर्युक्त बनारसी लाल नहीं हटा लेंगे तो उनको रोजाना ५ रु० जुर्माना किया जायगा?

Note.—Starred questions nos. 797 and 798 postponed.

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—(क) यह बात सही है कि एक्जेक्यूटिव इंजीनियर, सेन्ट्रल डिवीजन, पटना, ने बिहार सरकार (सहायता तथा पुनर्वास विभाग) को लिखा है कि शरणार्थी श्री बनारसी लाल पंजाबी को पटना ट्रेनिंग कॉलेज के सामने बनाई जाने वाली दूकानों में से एक दी जाय और तब तक के लिये जिस स्थान पर सम्प्रति उसकी दूकान है वहीं रखने की अनुमति दी जाय। परन्तु वहां दूकान बनाने के लिये पटना ऐडमिनिस्ट्रेशन कमिटी की अनुमति नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न में लिखित बातें पूरी तरह ठीक नहीं हैं। सही बात यह है — पटना ऐडमिनिस्ट्रेशन कमिटी ने श्री बनारसी लाल के ऊपर अनाधिकार दूकान बनाने का अभियोग तिथि १७ फरवरी, १९५१ को लाया। मजिस्ट्रेट ने दूकान हटा लेने का आदेश दिया। फिर १४ मार्च, १९५१ तक समय दिया गया और वह तारीख फिर भी १० अप्रैल, १९५१ तक बढ़ायी गई है जिस समय तक उक्त शरणार्थी दूकान हटा लें या पटना ऐडमिनिस्ट्रेशन कमिटी से अनुमति प्राप्त कर लें। अभियुक्त के शरणार्थी होने के कारण उसके साथ नर्मी बरती गई है। पटना ऐडमिनिस्ट्रेशन कमिटी का ध्यान उपरोक्त एक्जेक्यूटिव इंजीनियर के पत्र की ओर आकर्षित किया गया है।

श्री बृजलाल दोकानिया—क्या सरकार सोचती है कि जब तक दूसरी जगह न दे दें तब तक वहां रहने की अनुमति दे दी जाय?

माननीय श्री रामचरित्र सिंह—एक्जेक्यूटिव इंजीनियर खुद कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मकान नहीं मिले तब तक उसको रहने की अनुमति दी जाय।

METHODS AND PROCEDURES FOR ADMISSION INTO THE TRAINING COLLEGE, PATNA.

*800. **Shri HARINATH MISRA**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the methods and procedures which are being followed for the selection of candidates for admission into the Training College, Patna

(*b*) whether age restrictions as mentioned in the Education Code have been strictly adhered to for the last five years; if not, the names of the candidates since 1946 in whose cases the restrictions were waived and the special reasons and justifications for the same;

(*c*) whether Government propose to raise the age-limit to 40 years, if not, why not;

(*d*) whether age restrictions are adhered to with regard to both—

(*i*) in short training course, and (*ii*) Dip.-in-Ed. course, if not, the reasons of differentiations?

The Hon'ble Shri BADRINATH VERMA: (*a*) The prospectus for admission to the College along with the application form is published in the *Bihar Gazette*. All applicants intending admission are called for interview and seats are offered strictly according to the marks secured by the candidates in the interview.